पत्रांक 2170 /धारा–57/ आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/2009–10/देहरादून
कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉक: देहरादून: 27 अगस्त 2009,

प्रार्थना पत्र सं0 :– 1004 दिनांक 14–5–09
सर्वश्री सागर संस,
24–ओल्ड कनाट पैलेस चकराता रोड देहरादून।
निर्णय का दिनांक :– अगस्त–2009
प्रार्थी की ओर से – कोई उपस्थित नही हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सागर संस, 24–ओल्ड कनाट पैलेस चकराता रोड, देहरादून द्वारा दिनांक 14–5—2009 को मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये "Whip Topping" जो कि केक, पेस्ट्री तथा अन्य बैकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती है, के सम्बन्ध में लागू करदेयता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। उक्त पत्र में उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सैन्ट्रल एक्साइज अधिनियम के अन्तर्गत इसे आयल, फैट तथा खाद्य मिश्रण के अन्तर्गत एक ही टैरिफ शियूडल में रखा गया है तथा उ0प्र0, दिल्ली, महाराष्ट्, हरियाणा आदि राज्यों में इसे 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य धोषित किया गया है।

2– विभागीय मत ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत वस्तु मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण इस पर करदेयता 12.5 प्रतिशत से लागू होगी। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह व्यापारी द्वारा उनके माह अप्रैल–08 से जनवरी–09 तक के अस्थाई कर निर्धारण आदेश से उत्पन्न हुआ है।

3– फर्म की ओर से सुनवाई की निर्धारित तिथि को कोई उपस्थित नही हुआ। कोई अन्य लिखित उत्तर अथवा अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत किये गये।

4– मेरे द्वारा फर्म द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। Whip Topping जिसका इस्तेमाल केक, पेस्ट्री तथा अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स में कच्चे माल के रुप में किया जाता है, पर कर देयता के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश संख्या 2020 दिनांक 19–8–09 सर्वश्री राज एजेन्सी, 27–हरिद्वार रोड देहरादून के मामले में स्पष्ट किया गया था कि राज्य में लागू मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत Whip Topping को अलग से वर्गीकृत नही किया गया है और न ही इण्ड्स्ट्रीयल इनपुट को वर्गीकृत करते हुये किसी अनुसूची में सम्मिलित किया गया । फर्म द्वारा जिस वस्तु का निर्माण करते हुये बिक्री की जा रही है उसका इस्तेमाल मुख्यतः बैकरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है लेकिन इसका अन्य रुपों में भी प्रयोग किया जाता है। अतः महज किसी मुख्य वस्तु के निर्माण में सहायक होने वाले कच्चे माल अथवा गौण वस्तु पर करदेयता का निर्धारण उस वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर लागू करदेयता के हिसाब से नही किया जा सकता है। बेकरी प्रोडक्ट्स के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री में ड्राईफूड्स, जैम्स, जैलीज, मिल्क क्रीम

...2

27.08.09

आदि भी सम्मिलित हो सकती है किन्तु इन सामग्रियों पर करदेयता बेकरी प्रोड्क्ट की भांती निर्धारित निर्धारित नही हो सकती। मा0 न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि वस्तुओं पर करदेयता के निर्धारण में हम अपनी ओर से न तो कुछ **assume** कर सकते है और न ही कुछ **presume** कर सकते है। फर्म द्वारा जिस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है उसे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नही किया गया है। अतः उक्त वस्तु पर बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर करारोपण **R.N.R.** अर्थात 12.5 प्रतिशत की दर से किया जायेगा। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

भवदीय,

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून।

पृ0प0सं0 2170 व दिनॉक::उक्त::

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सर्वश्री सागर संस, 24–ओल्ड कनाट पैलेस चकराता रोड देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून ।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर, (आडिट)/प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून ।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एसोसिऐशन पदाधिकारियों /उधोग व्यापार मण्डंल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी ।
7– ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9– पोर्टल प्रबन्धक,उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रुड़की।
10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडन प्लाला बिल्डिगं अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद ।
12– नेशनल लॉ एण्डं मैनेजमेंन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद ।
13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
15– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु ।

27.08.0

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
मुख्यालय,देहरादून।